प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 30.07.2026

#OperationConviction

> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी अपहरण/ दुष्कर्म के मामले मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 70000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* ।

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2022 धारा 363/366/376भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम 1. श्याम पुत्र लालदेव निवासी राय थाना खेलारी जनपद रांची (झारखण्ड)की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक श्री हरिओम शर्मा द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय पॉक्सों- 02 कोर्ट,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद विष्ट द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों -02 कोर्ट ,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30.07.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सों-02 कोर्ट ,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त श्याम को धारा 363 आईपीसी मे दोषी पाते हुये 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त श्याम को धारा 366 आईपीसी मे दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त श्याम को धारा 376 आईपीसी मे दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त श्याम को धारा ¾ पोक्सो एक्ट मे दोषी पाते हुये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद विष्ट एवं विवेचक उपनिरीक्षक श्री हरिओम शर्मा तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिहं वर्मा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल,बदायूँ।